

कार्यालय :- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डीडवाना, जिला डीडवाना-कुचामन।

क्रमांक – स्था./2026/18

दिनांक – 27 फरवरी, 2026

– संशोधित कार्यालय आदेश –

मैं महावीर सिंह चारण, आर.जे.एस., मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डीडवाना, जिला डीडवाना-कुचामन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 13(2) का प्रयोग करते हुये वर्ष 2026 के माह मार्च में आने वाले राजकीय अवकाशों हेतु डीडवाना न्यायक्षेत्र के लिए आवश्यक फौजदारी कार्य रिमाण्ड, जमानत व अन्य आवश्यक कार्य/मृत्युकालिक कथन/196 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (176 दण्ड प्रक्रिया संहिता) की कार्यवाही हेतु रिमाण्ड ड्यूटी के लिए निम्नलिखित तारीखों को उनके सामने अंकित मजिस्ट्रेट को अधिकृत करता हूँ-

क्रमांक	दिनांक	मजिस्ट्रेट का नाम व पदनाम
1	02.03.2026 व 03.03.2026 (होली अवकाश) व 04.03.2026 (घोषित अवकाश)	सुश्री पूनम योगी, न्यायिक मजिस्ट्रेट, मकराना।
2	01.03.2026 (रविवार) 08.03.2026(रविवार)	श्री रुपेन्द्र चौहान, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मकराना।
3	14.03.2026 (द्वितीय शनिवार) व 15.03.2026 (रविवार)	श्री धर्मेन्द्र सिंह जाखड़ अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नावां।
4	20.03.2026 (चेटीचण्ड) 21.03.2026 (ईद-उल-फितर) 22.03.2026 (रविवार)	श्री पंकज, न्यायिक मजिस्ट्रेट, डीडवाना।
5	26.03.2026 (रामनवमी)	श्रीमती मनोरमा मीणा, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लाडनूं।
6	29.03.2026 (रविवार)	श्री रुपेन्द्र चौहान, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मकराना।
7	31.03.2026 (महावीर जयंती)	श्री रुपेन्द्र चौहान, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मकराना।

नोट :-

- उक्त राजपत्रित अवकाशों के अलावा अन्य कोई राजकीय, आकस्मिक, स्थानीय अवकाश घोषित हो जाने पर उक्त घोषित अवकाश से पूर्व के राजकीय अवकाश के दिन जिस अधिकारी द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी सम्पादित की गई है, उसी अधिकारी द्वारा उक्त घोषित राजकीय अवकाश के दिन रिमाण्ड ड्यूटी का कार्य सम्पादित किया जावेगा।
- संबंधित राजपत्रित अवकाश के दिवस के लिए रिमाण्ड ड्यूटी हेतु अधिकृत अधिकारी द्वारा अवकाश पर रहने/मुख्यालय छोड़ने की स्वीकृति/अनुमति चाहे जाने की स्थिति में वह अपने स्थान पर कार्य करने हेतु अन्य अधिकारी का सहमति पत्र इस कार्यालय में प्रेषित करने पर ही उनके प्रार्थना पत्र पर विचार किया जावेगा एवं अन्य अधिकारी की रिमाण्ड ड्यूटी लगाए जाने का आदेश प्राप्त होने के पश्चात ही अवकाश पर प्रस्थान करें/मुख्यालय परित्याग करेंगे।

**MAHAVEER
SINGH
CHARAN**

CHIEF JUDICIAL
MAGISTRATE

Digitally signed by
MAHAVEER
SINGH CHARAN

Location: CJM
COURT, DIDWANA
Date: 2026.02.27
17:09:53 +0530

3. तारांकित अवकाश के दिन जिस न्यायिक अधिकारी की रिमाण्ड ड्यूटी लगाई गई है वही न्यायिक अधिकारी तारांकित अवकाश के परिवर्तित होने पर रिमाण्ड ड्यूटी करेगा।
4. अवकाश के दौरान प्रस्तुत प्रथम सूचना रिपोर्ट, रिमांड कागजात एवं अन्य प्राप्त दस्तावेजात आवश्यक रूप से अविलम्ब संबंधित न्यायालय को प्रेषित करें।
5. न्यायिक अधिकारीगण की रिमाण्ड ड्यूटी आगामी माह हेतु लगाई गई है, वे आदेशानुसार अपनी ड्यूटी का निर्वहन करेंगे एवं उक्त रिमाण्ड ड्यूटी के आदेश में परिवर्तन हेतु अनावश्यक पत्र व्यवहार एवं संवाद नहीं करेंगे।

क्रमांक – 111-120

दिनांक – 27 फरवरी, 2026

प्रतिलिपि : – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, डीडवाना।
2. श्रीमान अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय – डीडवाना /लाडनूं /कुचामन /मकराना/परबतसर संख्या 01 व 02
3. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट – डीडवाना/लाडनूं/कुचामन/मकराना/परबतसर /नावां।
4. न्यायिक मजिस्ट्रेट – डीडवाना/मकराना।
5. जिला पुलिस अधीक्षक, डीडवाना, समस्त वृताधिकारियों व थानाधिकारियों को सूचित करने बाबत।
6. सहायक निदेशक अभियोजन, नागौर।
7. समस्त बार संघ अध्यक्ष, जिला डीडवाना-कुचामन।
8. जिला आबकारी अधिकारी, डीडवाना सभी आबकारी थानों को सूचित करने बाबत।
9. प्रभारी अधिकारी जिला उपकारागृह, डीडवाना।
10. सिस्टम ऑफिसर, ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
11. रक्षित पत्रावली।

**MAHAVEER
SINGH
CHARAN**

CHIEF JUDICIAL
MAGISTRATE

Digitally signed by
MAHAVEER
SINGH CHARAN

Location: CJM
COURT, DIDWANA
Date: 2026.02.27
17:09:59 +0530